न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: डॉ. सूरजसिंह नेगी आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 37 ए/2013 (5/2011)

प्रविष्टि दिनांक – 27.1.2011

उनवान

1. केसरा पुत्र स्व0 हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
2. बद्री पुत्र स्व0 हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
3. सीताराम पुत्र स्व0 हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवलाल पुत्र स्व0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
2. हरिराम पुत्र स्व0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
3. दाखा पुत्री स्व0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
4. काली पुत्री स्व0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
5. गडूली पुत्री स्व0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्दलाई ,तहसील व जिला टोंक
6. तहसीलदार टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री नवीन चौधरी–अभिभाषक वादीगण
श्री जे0के0 जैन–अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत–उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक– 11/02/17

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज , तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार पक्षकारान जग्गा उर्फ जगन्नाथ गूजर के वारिसान है जिनका पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार है।

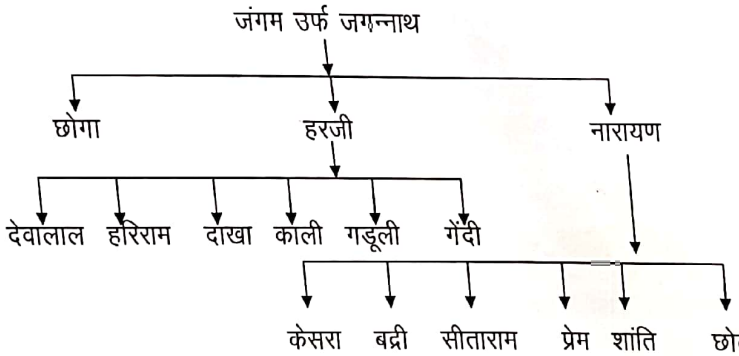

जग्गा उर्फ जगन्नाथ गूजर के तीनो पुत्रो छोगा हरजी व नारायण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आरजी ख.न. 139 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 179 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, ख.न. 203 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 381 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 410 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 415 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.न. 567 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख.न. 860 रकबा 8 बिस्वा , ख.न. 908 रकबा 5 बीघा, ख.न. 910 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 1002 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 1007 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता– 12, कुल रकबा 32 बीघ्झा 17 बिस्वा वाके ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी मे छोगा, हरजी व नारायण का बराबर का हक व हिस्सा था जिसका अंकन जमाबंदी हैदर साहब सन 1942

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

खाता सं0 55 मे अंकित है। किन्तु सं0 2009 से 2012 की जो जमाबंदी बनाई उसमे नारायण का नाम छोड दिया गया है और केवल छोगा हरजी का नाम ही अंकित कर दिया। उक्त अंकन संवत 2018–21 तक बदस्तूर रहा। उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबरो के नये नंबर 169, 243, 275, 541, 575, 582, 1189, 1191, 1287, 1294 बनाये गये। सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा उक्त संयुक्त कब्जे व खातेदारी की भूमि को बिना पक्षकारो की सहमति से , बिना किसी निर्णय व डिक्री के विभाजन कर गलत रूप से खातेदारी का अंकिन करे दिया तथा पृथक जमाबंदिया तैयार कर दी जिसमे हरजी व छोगा को बहुत कम जमीन व नारायण को अधिक जमीन देकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर दिया। नारायण ने अपने जीवनकाल मे ही 5 बीघा 7 बिस्वा जमीन बेचान कर दी। वादीगण अपने हक व हिस्से की संयुक्त खातेदारी कय शुदा भूमि 16 बीघा साढे सात बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबधं नही है। लेकिन प्रतिवादीगण बिना विधिक अधिकार के वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत करते है तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त कब्जेकाश्त की भूमि ख.न. 275, 582, 1294, 243, 541, 1189, 1191, 575, 1287, कुल किता–9, कुल रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा मे से 16 बीघा साढे सात बिस्वा भूमि वाके ग्राम चन्दलाई मे किसी तरह की दखलान्दाजी नही करे काश्त करने मे कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। जबरन कब्जा नही करे। खुर्द बुर्द /हस्तान्तरण नही करे।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी हैदर साहब सन 1942 उर्दू व हिन्दी अनुवाद, जमाबंदी संवत 2009–12, संवत 2058–61, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी भू–प्रबन्ध, जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2028–47, 2037–40, 2054–57, नामान्तरकरण संवत 47 , विक्रय पत्र, खसरा , आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थीगण हक अधिकार संबंधी तथ्यो साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी हैदरसाहब सन 1942 हिन्दी अनुवाद के अनुसार उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी है तथा प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण के पूर्वज उक्त भूमि के रिकाडेड खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उक्त तथ्य से प्रार्थनापत्र का प्रथम दृश्टया केस का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थीगण द्वारा अंकितानुसार सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा उक्त संयुक्त कब्जे व खातेदारी की भूमि को बिना पक्षकारो की सहमति से , बिना किसी निर्णय व डिक्री के विभाजन कर गलत रूप से खातेदारी का अंकित कर दी । उक्त तथ्यो को वाद निर्णय के समय परीक्षण किया जावेगा। लेकिन यदि वाद विचाराधीन के दौरान प्रतिपक्षीगण द्वारा भूमि के राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो हानि प्रार्थीगण को होने की संभावना है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः वाद निर्णय तक विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड और मौके की स्थिति यथावत बनाये रखना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 275, 582, 1294, 243, 541, 1189, 1191, 575, 1287, कुल किता–9, कुल रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा मे से 16 बीघा साढे सात बिस्वा भूमि वाके ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित भूमि मे किसी तरह की दखलान्दाजी नही करे। भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण नही करे। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 11/04/17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner